# अध्याय-V: राज्य आबकारी

## 5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

## 5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ (54 कार्यान्वयन इकाईयों सहित) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 44 इकाइयों (33 कार्यान्वयन इकाईयों सहित) का चयन किया गया। इन इकाईयों के अभिलेखों, जिनमें 2,663 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 3,069 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित हैं, की संवीक्षा 7,512 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। इसमें 5,391 प्रकरणों में (लगभग 72 प्रतिशत) राशि ₹ 195.42 करोड़ की आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी। तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी **तालिका 5.1** में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

**तालिका 5.1**

(₹ करोड़ में)

| क्रं सं. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली | 1,908 | 100.96 |
| 2 | भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर पर रिटेल-ऑन और रिटेल-ऑफ लाइसेंसधारियों से अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि की अवसूली | 1,954 | 72.88 |
| 3 | भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली | 1,190 | 15.25 |
| 4 | प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि | 11 | 0.34 |
| 5 | विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली | 267 | 5.98 |
| 6 | अन्य अनियमितताएं | | |
| | (i) राजस्व | 58 | 0.01 |
| | (ii) व्यय | 03 | 0.00 |
| **योग** | | **5,391** | **195.42** |

विभाग ने 5,203 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 40.43 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 39.08 करोड़ के 1,484 प्रकरण वर्ष 2021-22 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 3731 प्रकरणों में ₹ 1.76 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹ 0.42 करोड़ के 12 प्रकरण वर्ष 2021-22 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात राज्य सरकार ने एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) एवं कम्पोजिट फीस के देरी से किये भुगतान पर ब्याज की अवसूली के 25 प्रकरणों[1] में निहित राशि ₹ 18.85 लाख को स्वीकार किया (मई 2022) एवं ₹ 17.37 लाख की वसूली की गयी। साथ ही, राज्य सरकार ने चार प्रकरणों (जिला आबकारी अधिकारी-उत्पादन इकाई, बहरोड़ से सम्बन्धित) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की निर्यात गन्तव्य पर कम आपूर्ति पर आबकारी शुल्क ₹ 28.63 लाख की अवसूली को स्वीकार एवं पूर्णतः वसूल किया (मई 2022) तथा देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की होलसेल विक्रेताओं से अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली के छः प्रकरणों में ₹ 22.50 लाख की पूर्ण वसूली की (जुलाई 2022)। इन अनुच्छेदों की प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों के कुछ प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 143 करोड़ शामिल है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफल रहा जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

## 5.3 आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

### 5.3.1 प्रस्तावना

आबकारी विभाग (विभाग) राज्य सरकार का राजस्व अर्जन का एक प्रमुख विभाग है। विभाग को राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री के साथ-साथ राज्य आबकारी शुल्क तथा राज्य में लागू फीस के आरोपण व संग्रहण को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विभाग का उद्देश्य मादक पदार्थों की खपत को विनियमित करना, शुल्क व फीस आरोपित कर राजस्व में वृद्धि करना तथा मादक पदार्थों के राज्य में अवैध उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाना है।

1 जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालय अजमेर, जयपुर-शहरी, कोटा तथा सिरोही से सम्बन्धित।

राज्य के आबकारी राजस्व में मुख्यतः उत्पादन, थोक व खुदरा बिक्री ईकाइयों पर अनुज्ञा शुल्क वसूली, निर्यात व आयात पर परमिट फीस तथा राज्य में उत्पादित/आयातित तथा बेची जाने वाली मदिरा पर एकत्रित आबकारी शुल्क सम्मिलित है। राज्य आबकारी शुल्क, अनुज्ञा शुल्क व अन्य शुल्क का आरोपण व संग्रहण राज्य आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अधीन बनाये गये राज्य आबकारी नियम 1956 से नियन्त्रित होते है। राज्य सरकार मदिरा की दुकानों के संचालन हेतु लाईसेंस देने के सिद्धान्तो को निर्धारित करने एवं आबकारी शुल्क तथा अन्य सम्बंधित मामलों की दरों के निर्धारण के लिए राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) की घोषणा करती है।

आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण के लिए मौजूदा प्रणालियों व प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा जून 2021 से फरवरी 2022 के दौरान की गई। इस अनुपालना लेखापरीक्षा हेतु सात[2] जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) कार्यालयों का चयन किया गया। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त कार्यालय का भी विभाग के नियंत्रक एवं प्रशासकीय प्रमुख के रूप में चयन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान इन डीईओ कार्यालयों के अंतर्गत 33 क्रियान्वयन इकाईयों जैसे डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लांट, ब्रेवरीज आदि को भी शामिल किया गया था।

## 5.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विभाग ने विभागीय अधिकारियों और दो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) व राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल) के लिए राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा तथा अन्य आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के व्यवसाय के प्रबंधन हेतु एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) नामक एक आईटी प्रणाली की शुरूआत की (अप्रैल 2011)। आईईएमएस में अधिकारियों की सहायता हेतु अनेक मॉड्यूल्स प्रदान किए गए है। आबकारी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए दिसंबर 2021 में लॉग-इन आईडी आधारित आईईएमएस एक्सेस उपलब्ध कराया गया।

चयनित इकाइयों के प्रकरणों की संवीक्षा के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

### 5.3.2.1 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के कम उठाए गए मासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क की अवसूली

नीति 2020-21 के अनुसार, देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के समूह/दुकानों को एकाकी विशेषाधिकार राशि[3] (ईपीए) के आधार पर लाइसेंस आवंटित किए गए थे। देशी मदिरा

2 जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, अलवर, बहरोड़ (उत्पादन इकाई), जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही।

3 एकाकी विशेषाधिकार राशिः निर्दिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए देशी मदिरा समूहों/दुकानों से आबकारी विभाग द्वारा वसूल की जाने वाली राशि।

एवं राजस्थान निर्मित मदिरा समूह/दुकान का अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञा अवधि के लिए निर्धारित ईपीए के अनुसार आबकारी शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना आवश्यक था। मासिक किस्त का भुगतान उस माह की अंतिम तारीख तक करना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में असमर्थ रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर का भुगतान नकद में करने के लिए उत्तरदायी था।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[4] के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 1157 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित महीनो के लिए निर्धारित कोटा ₹ 828.67 करोड़ के समक्ष ₹ 777.61 करोड़ की देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिससे 839 अनुज्ञाधारियों की मासिक गारंटी राशि में ₹ 51.06 करोड़ की कमी रही। इस कमी मे से 375 अनुज्ञाधारियों की प्रतिभूति राशि में से ₹ 27.18 करोड़ की राशि का वसूली/समायोजन किया गया। तथापि संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने 464 लाइसेंसधारियों से शेष राशि ₹ 23.88 करोड़ वसूल नहीं की । जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.88 करोड़ कम राजस्व संग्रहण हुआ।

पिछले वर्षों के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में यह मुद्दा नियमित रूप से उठाया गया है, जिसमें विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। आगे, सरकार ने यह भी कहा (दिसंबर, 2020) कि मासिक गारंटी राशि की कमी की वसूली को सुगम बनाने के लिये आईईएमएस में उपयुक्त प्रावधान जोड़ दिया गया है। तथापि, लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2022 तक इस तरह का प्रावधान नहीं लाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (फरवरी 2022) पर, विभाग द्वारा स्वीकार (मार्च 2022) किया गया कि आईईएमएस, में लम्बित/कम रही राशि जमा कराने के बाद ही अनुज्ञाधारी को मदिरा की खरीद के लिए अगला परमिट जारी करने की अनुमति देने की सुविधा अब तक लागू नहीं की गई है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रेषित (मार्च एवं मई, 2022) किया गया । सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए जबाव दिया (जून 2022) कि ₹ 10.46 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वसूली के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

4 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही (डीईओ बहरोड़ (उत्पादन इकाई) के अंतर्गत कोई खुदरा लाइसेंसधारी नहीं है)।

### 5.3.2.2 आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अंतर राशि की अवसूली ।

आबकारी नीति 2020-21 के पैरा 3.7.6 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.4 व 2.5 तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार (फरवरी 2020 एवं फरवरी 2021) अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की न्यूनतम 30 प्रतिशत पूर्ति 25 यूपी[5] आरएमएल के उठाव से तथा शेष 70 प्रतिशत देशी मदिरा के उठाव से करनी होगी।

यदि अनुज्ञाधारी किसी विशेष माह में राजस्थान निर्मित मदिरा तथा देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संबंधित तिमाही के अन्य माहों में राजस्थान निर्मित मदिरा तथा देशी मदिरा का उठाव सुनिश्चित करेगा । किसी त्रैमास में आरएमएल व देशी मदिरा के कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी आरएमएल व देशी मदिरा के निर्धारित कोटे व वास्तविक उठाव पर देय आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नगद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[6] के कार्यालयों के अभिलेखों (जून 2021 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान) की जांच में पाया गया कि 2020-21 के दौरान 1157 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाही में निर्धारित कोटा ₹ 480.63 करोड़ के समक्ष ₹ 454.67 करोड़ की राजस्थान निर्मित मदिरा एवं देशी मदिरा का उठाव किया, इस प्रकार 720 अनुज्ञाधारियों के तिमाही गारंटी कोटा में ₹ 25.96 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से 37 अनुज्ञाधारियों की ₹ 38.16 लाख की सम्पूर्ण कमी या तो जमा करायी गयी या प्रतिभूति राशि मे से समायोजित की गयी तथा 683 अनुज्ञाधारियों के ₹ 92.94 लाख की आंशिक कमी, जमा या प्रतिभूति राशि से समायोजित की गयी। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने 683 अनुज्ञाधारियों से ₹ 24.65 करोड़ की शेष अंतर राशि वसूल नहीं की। जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.65 करोड़ कम राजस्व संग्रहण हुआ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा जवाब दिया (जून 2022) कि ₹ 3.14 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास जारी है । तथापि, वसूली के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.2.3 कम उठायी गयी मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली ।

छः जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों[7] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2020-21 के दौरान 189.41 लाख बल्क लीटर (बी एल) राजस्थान निर्मित मदिरा तथा ₹ 265.17 लाख बी एल 50/60 यू पी देशी मदिरा के निर्धारित कोटा के समक्ष संबंधित तिमाहियों में 1157

5 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है। यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रुफ को 50 यूपी और 40 डिग्री प्रुफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है।

6 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही।

7 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही।

अनुज्ञाधारियों ने ₹ 173.71 लाख बी एल राजस्थान निर्मित मदिरा तथा ₹ 255.19 लाख बी एल 50/60 यू पी देशी मदिरा उठायी, इस प्रकार 802 अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध 15.70 लाख बी एल राजस्थान निर्मित मदिरा तथा ₹ 9.98 लाख बी एल 50/60 यू पी देशी मदिरा के उठाव में कमी रही, जिस पर ₹ 9.96 करोड़ की बेसिक लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

यद्यपि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने 251 अनुज्ञाधारियों से ₹ 4.40 करोड़ की वसूली या प्रतिभूति राशि से समायोजन किया, परिणामस्वरूप 551 अनुज्ञाधारियों से ₹ 5.56 करोड़ की कम वसूली रही। इस तरह नीति के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 5.56 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार (मार्च व मई 2022) को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया तथा जवाब (जून 2022) दिया कि ₹ 1.38 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वसूली के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.3 रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क के अंतर राशि की अवसूली

अधिनियम की धारा 28 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दरों का प्रावधान किया गया है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क क्वार्टस, पिंट्स, निप्स या अन्य आकारों के प्रति कार्टन मूल्य[8] के अनुसार विभिन्न स्लेबों में उद्ग्रहणीय था तथा बीयर के मामले में एक्स-ब्रुवरी मूल्य के यथा मूल्य प्रतिशत के आधार पर आबकारी शुल्क उदग्रहणीय था। भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामले में अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर ₹ 900 प्रति कार्टन मूल्य तक 20 प्रतिशत तथा ₹ 900 से अधिक प्रति कार्टन पर 35 प्रतिशत थी। बीयर के मामले में अवधि 2019-20 के दौरान यह दर एक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइस, निर्यात शुल्क, आबकारी शुल्क तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) द्वारा उत्पादक को वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के कुल योग पर 35 प्रतिशत उदग्रहणीय थी।

राज्य सरकार ने दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त आबकारी शुल्क बढ़ाकर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामले में ₹ 950 प्रति कार्टन की कीमत तक 35 प्रतिशत, ₹ 950 से अधिक प्रति कार्टन कीमत पर 45 प्रतिशत तथा बीयर के मामले में 45 प्रतिशत कर दिया। सरकार द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि उक्त अधिसूचना से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि के कारण खुदरा अनुज्ञाधारियों के मार्जिन में वृद्धि को सरकारी खाते में जमा किया जाए।

इसके अतिरिक्त, सभी जिला आबकारी अधिकारीयों को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था (5 मई 2020) कि 22 मार्च 2020 से लॉक-डाउन के कारण भारत निर्मित विदेशी

---

8 आईएमएफएल और बीयर के संबंध में मूल्य का अर्थ लाइसेंसधारियों/निर्माताओं द्वारा घोषित और राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत मूल्य है।

मदिरा/बीयर पर संशोधित नए प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त आबकारी शुल्क की गणना 31 मार्च 2020 को लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर रिटेल ऑन[9] व रिटेल ऑफ[10] लाइसेंसधारियों के पास शेष स्टॉक की मात्रा पर की जानी थी तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्क की देय राशि के अंतर को सरकारी खाते में जमा किया जाना था।

आबकारी आयुक्त कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने आईईएमएस के लाईसेंसी स्टॉक मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंतर्गत 'आइटम लेजर स्टॉक आरएसबीसीएल' रिपोर्ट से वर्ष 2019-20 के लिए सभी रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ लाइसेंसधारियों की भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के स्टॉक की स्थिति के अन्तिम शेष से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित की। इस सूचना की जांच में पाया गया कि 34 जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधीन सभी 954 रिटेल-ऑन तथा 1000 मे से 972 रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा 31 मार्च 2020 को ऐसी आईएमएफएल व बीयर ब्रांडों का अंतिम शेष दिखाया गया जिसके लिए 29 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर बढ़ा दी गई थी। इन रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों के अन्तिम स्टॉक में क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ व ₹ 70.29 करोड़ के अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अन्तर राशि सन्निहित थी।

इस प्रकार इन अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के अन्तिम स्टॉक पर समग्र रूप से ₹ 72.88 करोड़ की अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि उदग्रहणीय थी। तथापि, छः चयनित जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि (छः चयनित जिला आबकारी अधिकारियों के मामलों में ₹ 22.72 करोड़) न तो अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा करवाई गई है और न ही संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा मांग की गई। इस तरह आबकारी आयुक्त के लागू दिशा-निर्देशों की अनुपालना न होने के परिणाम स्वरुप अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि ₹ 72.88 करोड़ की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया कि जिला आबकारी अधिकारियों को अंतर राशि वसूली के निर्देश जारी किये गए हैं (जून 2022) आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर निर्धारित अतिरिक्त राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) 2020-21 के पैरा 3.18 (i) एवं 4.6 के अनुसार, 2020-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठायी गयी मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर तथा बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर ₹ 10 प्रति

9 रिटेल-ऑन का अर्थ है एक लाइसेंसधारी जिसके पास परिसर में खपत हेतु विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए एवं ऐसे परिसर मे आने वाले ग्राहकों और आगंतुकों को मदिरा और बीयर परोसने हेतु होटल/रेस्टोरेंट/क्लब का लाइसेंस है।

10 रिटेल-ऑफ का अर्थ है सीलबंद कंटेनरों में मदिरा की खुदरा बिक्री और खुदरा विक्रेता के परिसर में इसका सेवन नहीं करना।

बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होनें पिछले वर्ष की उसी तिमाही में ली गयी मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर की न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। प्रत्येक त्रैमास के अंत में ऐसी कम उठायी गयी मात्रा की दुकान-वार गणना की जानी थी।

इसी प्रकार नीति के पैरा 5.4 के अनुसार यह प्रावधान उन रिटेल-ऑन अनुज्ञाधारियों पर लागू था, जिन्होनें पिछले वर्ष उसी तिमाही में ली गयी मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर के उठाव में न्यूनतम पांच प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। तत्पश्चात्, राजस्थान सरकार ने रिटेल-ऑन अनुज्ञाधारियों के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को संशोधित किया (जुलाई 2020) कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत तक कम उठाव पर कोई पेनल्टी लागू नहीं होगी।

आगे, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशानुसार (फरवरी 2020) सभी जिला आबकारी अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विभागीय वेबसाइट पर नोटिस जारी करके अतिरिक्त राशि की वसूली की जानी थी तथा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर समूह/दुकान को देय अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर ही आगामी परमिट जारी करना था। साथ ही विभाग के आईटी अनुभाग को भी निर्देशित किया गया था कि राजस्व के समयबद्ध संग्रहण हेतु विभागीय वेबसाइट पर जरूरी प्रावधान करें।

छः जिला आबकारी अधिकारियों[11] के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य) में पाया गया कि 2020-21 की अवधि में 1192 (रिटेल-ऑफ व रिटेल-ऑन) अनुज्ञाधारियों ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की निर्धारित मात्रा नहीं उठायी अतः इस प्रकार अतिरिक्त राशि ₹ 15.25 करोड़ भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने कम उठायी गयी मात्रा पर निर्धारित अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की तथा पिछली तिमाही के अंत में देय अतिरिक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित किए बिना मदिरा के उठाव के लिए परमिट जारी कर दिए। इस प्रकार, जिला आबकारी अधिकारी नीति प्रावधानों को लागू नहीं कर सके तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि की अवसूली रही।

आगे, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आईईएमएस में लंबित अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद ही अनुज्ञाधारियों को अगला परमिट जारी करने की अनुमति देने की सुविधा मार्च 2022 तक लागू नहीं की गई थी।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल व मई 2022)। राज्य सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि ₹ 5.15 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारीयों को शेष अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तथापि,

11 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (शहरी), कोटा, सीकर एवं सिरोही।

वसूली के समर्थन में राज्य सरकार ने साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये । अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित रही (अक्टूबर 2024) ।

### 5.3.5 रेस्टोरेंट बार लाइसेंसधारियों से शेष लाइसेंस फीस की दूसरी किस्त की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेंट बार लाइसेंस ग्रांट) नियम, 2004 यथा संशोधित[12] (अप्रैल 2020) के नियम 3(3) के अनुसार (अ) जयपुर/जोधपुर मुख्यालय के शहरीकरण योग्य सीमा क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट के लिए प्रारंभिक/बेसिक लाइसेंस फीस ₹ 9 लाख तथा (ब) अन्य संभागीय व जिला मुख्यालयों में ₹ 6.50 लाख निर्धारित की गयी थी ।

तत्पश्चात, राज्य सरकार ने उन होटल बार, क्लब बार या रेस्टोरेंट बार जिनका अनुज्ञापत्र वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु 30 सितंबर 2020 तक नवीनीकृत किया गया था के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु बेसिक या प्रारंभिक लाइसेंस फीस में 25 प्रतिशत की छूट[13] प्रदान की । ऐसे अनुज्ञाधारियों को प्रारंभिक/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि दो किस्तों में 31 दिसंबर 2020 तक बिना ब्याज व अतिरिक्त फीस के जमा करवानी थी तथा छूट दी गई फीस की राशि का वर्ष 2021- 22 के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के समय समायोजन करना था ।

जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) व कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई व अगस्त 2021 के मध्य) कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) के अंतर्गत 17 (93 में से) तथा जिला आबकारी अधिकारी कोटा के अंतर्गत एक (45 में से) रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2020-21 हेतु 30 सितंबर 2020 तक लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन किया तथा प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में निर्धारित ₹ 159.50 लाख बेसिक/प्रारंभिक लाइसेंस फीस के समक्ष ₹ 82.00 लाख जमा करवाये । संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने इन रेस्टोरेंट बार के लाइसेंस को प्रथम किस्त की प्राप्ति पर ही नवीनीकृत कर दिया । तथापि, उन्होंने शेष लाइसेंस फीस की दूसरी किस्त की वसूली नहीं की, जिसे अनुज्ञाधारियों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक जमा किया जाना था । इस प्रकार जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त नियम/अधिसूचना के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 77.50 लाख[14] की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई ।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल व मई 2022) । राज्य सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (शहर) से संबंधित में ₹ 36.00 लाख की वसूली कर ली गयी है तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को शेष राशि की वसूली हेतु निर्देशित किया गया है । राज्य सरकार ने आगे कहा (जनवरी 2024) कि

12 वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4(1)एफडी/एक्स/2020-पार्ट-I दिनांक 01 अप्रैल 2020 ।

13 वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4(1) एफडी/एक्स/2020-पार्ट-I दिनांक 28 अक्टूबर 2020 ।

14 जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर) : ₹ 74.25 लाख एवं जिला आबकारी अधिकारी, कोटा: ₹ 3.25 लाख ।

सात अनुज्ञाधारियों से ₹ 15.75 लाख की राशि वसूलने योग्य नहीं थी क्योंकि 25 प्रतिशत छूट का लाभ वर्ष 2021-22 के स्थान पर वर्ष 2020-21 में दिया गया था। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2020-21 में लाइसेंस शुल्क का पूरा भुगतान करने के पश्चात ही वर्ष 2021-22 में 25 प्रतिशत की छूट दी जानी थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.6 राज्य आबकारी विभाग में कंप्यूटरीकरण

आईईएमएस प्रणाली की कार्यपद्धति में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है:

#### 5.3.6.1 अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित कोटा अनुरूप देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा उठाने में विफल रहने पर आईईएमएस में रेड फ्लैग करने की सुविधा का न होना।

आईईएमएस के लाइसेंस स्टॉक मैनेजमेंट मॉड्यूल का उपयोग रिटेल-ऑफ व रिटेल-ऑन अनुज्ञाधारियों की मदिरा इन्वेंट्री की ऑन-लाइन व्यवस्था बनाए रखने के लिये किया जाता है। अनुज्ञाधारियों को मदिरा की क्रय राशि जमा कराने हेतु नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी व आरटीजीएस जैसे विभिन्न भुगतान के तरीके उपलब्ध है। धन राशि जमा करने के बाद, अनुज्ञाधारियों द्वारा आरएसबीसीएल व आरएसजीएसएमएल से क्रय की गई मदिरा स्वतः संबंधित अनुज्ञाधारी के इन्वेंट्री लेजर में जुड़ जाती है। प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए आईईएमएस के मदिरा इन्वेंट्री मेनेजमेंट मॉड्यूल में एक अनन्य लेजर की व्यवस्था की गयी है। अनुज्ञाधारी लेजर में अनुज्ञाधारी के साथ प्रत्येक लेन-देन यथा राशि की प्राप्ति, जारी किए गए चालान, लेजर में उपलब्ध शेष आदि का विवरण होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त मॉड्यूल में उन देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा अनुज्ञाधारियों को रेड फ्लैग करने की सुविधा का अभाव था जो निर्धारित मासिक गारंटी कोटा तथा तिमाही गारंटी कोटा में 50/60 यूपी देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्धारित न्यूनतम अनुपात के अनुसार देशी मदिरा/ राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव करने में विफल रहे। इसके अलावा अनुज्ञाधारियों द्वारा ऐसी कम उठायी गयी देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की मात्रा पर नकद में देय शेष मासिक गारण्टी राशि एवं आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की त्रैमासिक अन्तर राशि की गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन मॉड्यूल में विलंबित जमा के कारण लगाए जाने वाले ब्याज और कम उठाई गई मात्रा के विरुद्ध अनुज्ञाधारी द्वारा नकद जमा की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं था।

उपर्युक्त के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि विभाग कम मात्रा में उठायी गयी देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा के लिए उत्तरदायी अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर लगाये जाने वाले आबकारी शुल्क की मासिक गारंटी राशि तथा आबकारी शुल्क की अन्तर राशि को पूर्ण व समयबद्ध तरीके से वसूली करने हेतु प्रभावी रूप से आईईएमएस का लाभ नहीं उठा सका।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि निर्धारित गारंटी कोटा के अनुसार देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठायी गयी मात्रा हेतु उत्तरदायी अनुज्ञाधारियों को रेड फ्लैग करने की सुविधा प्रारंभ करने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है एवं शीघ्र ही आईईएमएस में प्रस्तावित की जायेगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.6.2 कस्टमर लेजर के डेटा में अनियमितताऐं ।

एक उचित डेटाबेस प्रणाली को खातों के संधारण के लिए आवश्यक रूप से सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आईईएमएस के देशी मदिरा परमिट ऑनलाइन मॉड्यूल के अंतर्गत देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के कस्टमर लेजर में देशी मदिरा के आबकारी शुल्क से संबंधित अनुज्ञाधारियों के साथ किये गये लेनदेन जैसे जमा आबकारी शुल्क, समायोजित आबकारी शुल्क व शेष आबकारी शुल्क आदि सम्मिलित है।

वर्ष 2020-21 के लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों के देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के कस्टमर लेजर के आईईएमएस डेटा की जांच में पाया गया कि 15 जिला आबकारी अधिकारियों के 2,681 अनुज्ञाधारियों की वर्ष 2020-21 के अंत में आबकारी शुल्क के अन्तिम शेष में राशि ₹ 21.40 लाख क्रेडिट दिखाई गई है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए कस्टमर लेजर के विश्लेषण से पता चला कि क्रेडिट शेष के स्थान पर, वर्ष 2020-21 के अंत में आबकारी शुल्क राशि ₹ 399.98 लाख का डेबिट शेष होना चाहिए था। यह इंगित करता है कि आईईएमएस की सूचनाओं में विश्वसनीयता व सत्यनिष्ठा का अभाव था।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 2022) विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि नीति के पैरा 3.12.2 तथा 3.12.3 के अनुसार अनुज्ञाधारी के आवेदन पर परिक्षेत्र की कंपोजिट दुकानों के संबंध में वर्ष के लिए देय कंपोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि ईपीए में शामिल की जा सकती है एवं सितंबर 2021 से फरवरी 2022 तक मासिक गारंटी राशि में देशी मदिरा के आबकारी शुल्क के समक्ष समायोजित की जा सकती है। इस प्रकार, कस्टमर लेजर में संबंधित अनुज्ञाधारियों की समायोजित राशि को शामिल न करने के कारण कस्टमर लेजर के डेटा में अंतर था। तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि पूर्ण और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समायोजन राशि को कस्टमर लेजर में भी दर्शाया जाना चाहिए।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) की आईईएमएस के कस्टमर लेजर में सुधार किया जाना प्रक्रियाधीन है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.6.3 देशी मदिरा के आबकारी शुल्क के ऑकडों में ईपीए रिपोर्ट तथा कस्टमर लेजर रिपोर्ट के मध्य भिन्नता ।

आईईएमएस के देशी मदिरा परमिट ऑनलाइन मॉड्यूल में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों की कस्टमर लेजर में एक अनुज्ञाधारी से संबंधित देशी मदिरा के आबकारी शुल्क के लेनदेन का विवरण जैसे जमा आबकारी शुल्क, समायोजित आबकारी शुल्क, शेष आबकारी शुल्क

आदि सम्मिलित होते है । जबकि देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की ईपीए रिपोर्ट में अनुज्ञाधारी से संबंधित देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा, देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा के विरुद्ध समायोजित आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस के लेनदेनों का विवरण शामिल होता है।

लेखापरीक्षा ने आईईएमएस के लिए लॉगिन आईडी आधारित पहुंच के माध्यम से सभी जिला आबकारी अधिकारियों के देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के वर्ष 2020-21 के लिये ईपीए रिपोर्ट तथा कस्टमर लेजर के सम्बंध में जानकारी एकत्र की। आँकडों की जांच में पाया गया कि ईपीए रिपोर्ट में देशी मदिरा की वसूली की गयी आबकारी शुल्क की राशि एवं कस्टमर लेजर में देशी मदिरा की दर्शायी समायोजित आबकारी शुल्क की राशि कुल 34 जिला आबकारी अधिकारियों में से 13 जिला आबकारी अधिकारियों के प्रकरणों में ही समान थी। शेष जिला आबकारी अधिकारियों में निम्नलिखित अनियमितताएं रहीः-

- 20 जिला आबकारी अधिकारियों के प्रकरणों में, ईपीए रिपोर्ट में देशी मदिरा की वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर आबकारी शुल्क की राशि ₹ 1,421.05 करोड़ दर्शाई। तथापि, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में वसूल की गयी आबकारी शुल्क की राशि ₹ 1,425.80 करोड़ दर्शाई गई। इस प्रकार, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में आबकारी शुल्क ईपीए रिपोर्ट में दर्शाये गये वास्तविक आबकारी शुल्क की तुलना में ₹ 4.75 करोड़ अधिक था।

- जिला आबकारी अधिकारी सिरोही के प्रकरण में ईपीए रिपोर्ट में आबकारी शुल्क की प्राप्त राशि कस्टमर लेजर रिपोर्ट से ₹ 0.77 लाख अधिक थी।

इससे यह इंगित होता है कि आईईएमएस की सूचना में निरंतरता व सत्यनिष्ठा का अभाव है।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि सर्वर व कस्टमर लेजर से प्राप्त रिपोर्ट समान है। सरकार का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह ईपीए और कस्टमर लेजर रिपोर्ट के बीच डेटा में भिन्नता के बिंदु के अनुरूप नहीं था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

### 5.3.6.4 राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की जानकारी का कस्टमर लेजर रिपोर्ट में नहीं दर्शाया जाना।

देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूह/दुकान का अनुज्ञाधारी देशी मदिरा और आरएमएल पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। नीति 2020-21 द्वारा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल स्पिरिट पर आधारित 25 यूपी वाली "राजस्थान निर्मित मदिरा" नामक मदिरा की एक नई किस्म प्रारम्भ की गयी।

सभी जिला आबकारी अधिकारियों के वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा समुहों की ईपीए रिपोर्ट व कस्टमर लेजर रिपोर्ट के संबंधित आईईएमएस डेटा की जांच में पाया गया कि ईपीए रिपोर्ट में देशी मदिरा के साथ-साथ राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा,

आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस के लेनदेनों का विवरण सम्मिलित था। जबकि, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में केवल देशी मदिरा के आबकारी शुल्क संबंधी विवरण ही था तथा राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस की जानकारी का अभाव था। इस तरह आईईएमएस के कस्टमर लेजर रिपोर्ट में जानकारी राजस्थान निर्मित मदिरा से संबंधित लेनदेनों की सीमा तक अपूर्ण थी।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि आईईएमएस के कस्टमर लेजर रिपोर्ट में सुधार हेतु कार्य प्रगति पर है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

### 5.3.6.5 एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) में अन्य मुद्दे।

आईईएमएस की जांच में कुछ अन्य कमियां उजागर हुई, जैसेः-

- आईईएमएस में संबंधित अनुज्ञाधारियों को कम रही राशि या बकाया राशि तथा देय तिथि के संबंध में अग्रिम रूप से एसएमएस भेजने या जिला आबकारी अधिकारियों को ऐसी श्रेणीवार सूचना भेजने का कोई प्रावधान/तंत्र उपलब्ध नही था। इस तरह की अधिसूचना संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों व अनुज्ञाधारियों को भुगतान तिथि से पूर्व ही सतर्क कर देती तथा राजस्व के समयबद्ध संग्रहण को सक्षम बनाती। यहाँ यह प्रासंगिक होगा कि इस तरह की एसएमएस/ई-मेल वाली अधिसूचना प्रणाली अनेक क्षेत्रों की कंपनियों यथा बीमा, बैंकिंग, यूटिलिटी आदि में बकाया/वसूली के संग्रहण के लिए काफी प्रभावी ढ़ंग से उपयोग में ली जाती है।

- उभरते व्यवसाय और साइबर सुरक्षा परिवेश और बदलती आबकारी व मद्यसंयम नीतियों के अनुरूप आईटी प्रणाली के प्रगतिशील विकास/संशोधन के लिए आईटी प्रणाली की आवधिक समीक्षा/लेखापरीक्षा के लिए कोई तंत्र नहीं था।

प्रकरण विभाग व राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च व मई 2022)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2022) कि जिला आबकारी अधिकारिओं व अनुज्ञाधारियों को एसएमएस की सुविधा के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

## 5.3.7 निष्कर्ष

विभाग ने कई मामलों में लागू आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। मौजूदा अधिनियम/नियमों/नीति के प्रावधानों और सरकार/आबकारी आयुक्त के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने के कई दृष्टांत थे, जैसे राजस्थान निर्मित मदिरा व देशी मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर मासिक व त्रैमासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क में अंतर राशि की अवसूली, आईएमएफएल और बीयर के रिटेल ऑन एवं रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों के पास उपलब्ध अंतिम स्टॉक पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि, आईएमएफएल व बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली, बार अनुज्ञाधारियों से लाइसेंस फीस की कम वसूली आदि।

इसके अतिरिक्त, आईईएमएस के क्रियान्वयन मे कमियां जैसे निर्धारित मासिक/त्रैमासिक गारंटी कोटा अनुसार देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा उठाने में असफल रहे देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा अनुज्ञाधारियों को रेड फ्लैग करने के लिये प्रणाली में सुविधा का न होना तथा आईईएमएस में सूचनाओं में निरंतरता व सत्यनिष्ठा की कमी देखी गयी।

लेखापरीक्षा ने विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में भी चूककर्ता अनुज्ञाधारियों के प्रकरणों में अप्रभावी कार्रवाई जैसी कमियाँ देखी।

### 5.3.8 अनुशंसाएँ

- *विभाग को लागू आबकारी आबकारी शुल्क एवं शास्ति को आरोपित करने एवं संग्रहण में नीति/अधिनियम/नियमों/आदेशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।*

- *आईईएमएस में अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली के लिए मॉड्यूल विकसित किया जा सकता है जो देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर वसूली के ब्यौरे को प्रत्येक माह या तिमाही के बाद टैग करेगा ताकि अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा की गयी आगामी राशि से तथा उन्हें मदिरा का अगला स्टॉक जारी करने से पूर्व ही स्वतः वसूली की जा सके।*

- *विभाग आईईएमएस में देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की स्वतः गणना हेतु तंत्र की शुरुआत करने पर विचार कर सकता है।*

- *विभाग संबंधित अनुज्ञाधारियों व जिला आबकारी अधिकारियों को कम राशि या बकाया देय राशि एवं संबंधित देय तिथि के बारे में सचेत करने के लिए आईईएमएस में एक एसएमएस आधारित अधिसूचना प्रणाली लागू कर सकता है।*

- *विभाग आईईएमएस में सूचनाओं की सत्यनिष्ठा, निरंतरता व समयबद्ध अद्यतीकरण को सुनिश्चित कर सकता है।*